

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

### “विज्ञापन”

#### “ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में महिला पुलिस स्वयं सेवक की भर्ती के संबंध में विज्ञापन”

भारत सरकार के पत्र क्रमांक/23013/2/2017 दिनांक 14.09.2017 तथा संचालनालय महिला एवं बाल विकास के पत्र क्रमांक/5316/मबावि/सावि/2017-18 दिनांक 05.10.2017 अनुसार जिले के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय के सभी वार्डों में महिला पुलिस स्वयं सेवक की नियुक्ति की जानी है। महिला स्वयं सेवक पद केवल महिलाओं के लिए है एवं मानसेवी पद है। पद पर नियुक्ति हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 11.01.2018 तक आवेदन आमंत्रित हैं। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	पदनाम	निकाय का नाम	पदसंख्या	पद का प्रकार
1	महिला पुलिस स्वयं सेवक	नगर निगम दुर्ग	प्रत्येक वार्ड हेतु 01 पद कुल 60 पद	मानसेवी
2		नगर निगम भिलाई	प्रत्येक वार्ड हेतु 01 पद कुल 70 पद	
3		नगर निगम भिलाई चरोदा	प्रत्येक वार्ड हेतु 01 पद कुल 40 पद	
4		नगर पालिका परिषद कुम्हारी	प्रत्येक वार्ड हेतु 01 पद कुल 24 पद	
5		नगर पालिका परिषद जामुल	प्रत्येक वार्ड हेतु 01 पद कुल 20 पद	
6		नगर पालिका परिषद अहिवारा	प्रत्येक वार्ड हेतु 01 पद कुल 15 पद	
7		नगर पंचायत पाटन	प्रत्येक वार्ड हेतु 01 पद कुल 15 पद	
8		नगर पंचायत धमधा	प्रत्येक वार्ड हेतु 01 पद कुल 15 पद	
9		नगर पंचायत उतर्ई	प्रत्येक वार्ड हेतु 01 पद कुल 15 पद	
10		जनपद पंचायत दुर्ग	प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु 01 पद कुल 72 पद	
11		जनपद पंचायत धमधा	प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु 01 पद कुल 116 पद	
12		जनपद पंचायत पाटन	प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु 01 पद कुल 109 पद	

#### पात्रता की शर्तेः

1. महिला पुलिस स्वयं सेवक का पद केवल महिलाओं के लिए है।
2. आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।
3. उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
4. आवेदक का संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। स्थानीय बोलचाल की भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
5. उसे किसी आपराधिक कानून के उल्लंघन के जुर्म में सजा यापता या निरुद्ध नहीं होना चाहिए।
6. उसके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधियाँ दर्ज नहीं होना चाहिए।
7. उसे किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होना चाहिए।

## महिला पुलिस स्वयं सेवक के कार्य :—

1. महिला पुलिस स्वयं सेवक एक ऐसी महिला होगी जो महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के प्रति कटिबद्ध हो एवं लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठा से तथा इस दिशा में पुलिस की सहायता कर सके।
2. महिला पुलिस स्वयं सेवक पुलिस स्टेशन में पदस्थ पुलिस निरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करेंगी।
3. महिला पुलिस स्वयं सेवक समाज और पुलिस के बीच जेण्डर आधारित मुद्दों पर एक सेतु के रूप में काम करेंगी।
4. अपने कार्य के दौरान वह महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे— वन स्टाप सेंटर, अल्पकालिक निवास गृह, आश्रय गृह, पुलिस हेल्प लाईन 100, महिला हेल्प लाईन 181, चाइल्ड लाईन 1098 एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अन्य उपलब्ध मोबाईल एप के बारे में जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का कार्य करेगी।
5. लड़कियों एवं महिलाओं के विरुद्ध अमर्यादित व्यवहार एवं घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचित करेगी।
6. महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों जैसे — किस संदिग्ध नवागत व्यक्ति का गांव में आगमन, गुम हुई महिलाओं और बच्चों के बारे में जानकारी, स्कूल एवं कॉलेज में जाने वाले छात्रों के विरुद्ध दुर्व्यवहार के संबंध में भी सूचना संग्रहण का कार्य करेगी। वह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे—घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, मानव तस्करी एवं किसी अन्य रूप में सार्वजनिक एवं निजी स्तरों पर हो रही घटनाओं को भी तत्काल प्रतिव्युदित करेगी। गुमशुदा बच्चों की जानकारी तत्काल पुलिस और चाइल्ड हेल्प लाईन को भी प्रदान करेगी।
7. वह गांव में 10–12 लोगों का एक समूह जिसे महिला व शिशु रक्षक दल के रूप में जाना जायेगा, का गठन करेगी। इस दल में स्थानीय नेता, सरपंच, वार्ड मेम्बर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह की सदस्य, काउंसलर, स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधि, मितानीन, युवा स्वयं सेवक शामिल होंगे।
8. जब कभी आंगनबाड़ी केन्द्र में एएनएम एवं मितानीन उपस्थित हों, महिला पुलिस स्वयं सेवक को भी सप्ताह में कम से कम एक दिन आंगनबाड़ी केन्द्र में उपस्थित होना होगा।
9. वह व्यक्तिगत बैठकें, ग्रीवेंट, सामाजिक बैठक और फोकस ग्रुप विचार-विमर्श का भी आयोजन करेगी जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि हो, आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस महिला हेल्प लाईन और वन स्टॉप सेंटर की भी मदद लेगी।
10. घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जिला एवं तालुका स्तर पर नियुक्त संरक्षण अधिकारियों के साथ भी वह समन्वय का कार्य करेगी।
11. स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत करेगी।

12. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण समिति, ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा एवं महिला ग्राम सभा में भी वह नियमित भाग लेकर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर समन्वय का कार्य करेगी।


आवेदन प्रपत्र [www.durg.gov.in](http://www.durg.gov.in) वेबसाईट पर उपलब्ध है :-

निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र को पुलिस कंट्रोल रुम सेक्टर-6 भिलाई, जिला-दुर्ग में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11.01.2018 है।

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्तेः :-

1. प्रारंभिक रूप से महिला पुलिस स्वयं सेवकों को 02 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा। जिसे हर छः माह के बाद पुनरीक्षण किया जा सकेगा। कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए उसे कभी भी सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. मोबाईल फोन एवं स्थानीय परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 500 प्रतिमाह की एकमुश्त राशि महिला पुलिस स्वयं सेवकों को प्रदान की जायेगी।
3. महिला पुलिस स्वयं सेवक को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा। सेवा समाप्ति के बाद नियुक्त महिला स्वयं सेवकों को किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।
4. महिला स्वयं सेवक पद पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है।
5. आवेदक की आयु दिनांक 1 अक्टूबर 2017 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।
6. अभ्यर्थी को संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
8. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होना चाहिए।
9. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी एवं स्वप्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन देने संबंधित जानकारी अपने नियोक्ता को देना होगा।

11. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे-तथा इसके संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
12. उपरोक्त उल्लेखित वांछित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार आवेदन ना करें।
13. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदित किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से होना चाहिए।
14. चर्चा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
15. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर/सीधे स्वीकार होंगे। आवेदन पुलिस कंट्रोल रुम सेक्टर-6 भिलाई, जिला-दुर्ग में जमा करना होगा।
16. उपरोक्त पदों पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता वाले आवेदकों के साक्षात्कार के माध्यम से किए जावेंगे। पुलिस के साथ पूर्व में कार्य करने वाले महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। इसके साथ ही केन्द्र/राज्य शासन की शासकीय कायालयों में महिला सुरक्षा/स्वावलंबन/महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को साक्षात्कार में प्राथमिकता दी जावेगी।
17. प्राप्त आवेदनों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
18. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट [www.durg.gov.in](http://www.durg.gov.in) पर देखी जा सकती है।
19. अपात्र अथवा मेरिट क्रम में न आने वाले अभ्यार्थियों को सूचना नहीं दी जायेगी। चुने हुए अभ्यार्थियों को मेल एवं एसएमएस से सूचना दी जायेगी। अतः सही मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जावें।
20. आवेदक का आवेदन दिनांक 11.01.2018 सायं 5 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


 पुलिस अधीक्षक  
 जिला-दुर्ग (छ.म.)  
 12/12/11

आवेदन पत्र का प्रारूप

- आवेदक का फोटो
1. नाम :— .....
  2. जन्मतिथि :— .....
  3. राज्य / :— .....
  4. जिला :— .....
  5. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :— .....
  6. नजदीकी पुलिस स्टेशन :— .....
  7. मोबाईल नम्बर :— .....
  8. ई-मेल आईडी :— .....
  9. आधार कार्ड नम्बर /  
कोई भी अन्य सरकारी पहचान पत्र :— .....
  10. शैक्षणिक योग्यता :— .....
  11. क्यों आप एक महिला पुलिस स्वयं सेवक बनना चाहते हैं (100 शब्द से अधिक नहीं)

12. आपकी पहले की उपलब्धियां, अगर हों तो : .....
13. क्या आपको स्कूल/कॉलेज/संस्था/एनजीओ आदि में स्वयं सेवा का अनुभव है, जहां आपकी भूमिका प्रासंगिक नेतृत्व कौशल का ग्रदर्शन किया हो, के बारे में बतायें : .....
14. क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, दोषी ठहराया गया है, या आपराधिक कार्य के लिए अदालत द्वारा तलब किया गया है : .....

15. क्या आप किसी राजनीतिक दल से संबद्ध है : .....

16. अन्य जानकारियाँ : .....

कृपया वैध पहचान पत्र फार्म के साथ संलग्न करें

मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठी पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

टीप :- महिला पुलिस स्वयं सेवक का पद स्वयं सेवी है तथा राशि रूपये 500/- प्रतिमाह एकमुश्त भुगतान मोबाइल और स्थानीय परिवहन के लिए दिया जायेगा।